



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय संविधान की सफलता और प्रासंगिकता

आलोक भारद्वाज

सहायक आचार्य ,राजनीति विज्ञान,

राजकीय महाविद्यालय ,मंडरायल (करौली)

भारतीय संविधान, विश्व का सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने का आधार स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया यह संविधान न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो भारत की विविधता, समृद्ध संस्कृति, और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करता है।

संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के कई विद्वानों और नेताओं का योगदान अविस्मरणीय है। यह न केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उनके कर्तव्यों को भी रेखांकित करता है। भारतीय संविधान की सफलता उसकी लचीली संरचना, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, और समयानुकूल संशोधन की क्षमता में निहित है।

मुख्य शब्द- लोकतांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक, समसामयिक।

आज, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक परिवर्तन के बीच, भारतीय संविधान की प्रासंगिकता पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है। यह केवल एक दस्तावेज़ भर नहीं है, बल्कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुता के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक जीवंत प्रतीक है। संविधान की सफलता और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को और अधिक स्पष्टता और दिशा प्रदान कर सकता है।

भारतीय संविधान, जिसे "हमारे देश की आत्मा" कहा जाता है, ने स्वतंत्रता के बाद भारत को एक सशक्त और स्थिर लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह संविधान न केवल एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, बल्कि इसकी सफलता और प्रासंगिकता ने इसे विश्व के सबसे व्यापक और प्रभावशाली संविधानों में शामिल किया है।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर इसे अनोखे तरीके से तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं:

संविधान की मूल संरचना

संविधान का प्रारूप बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थीं (मूल स्वरूप में)। संविधान ने मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक तत्व, और एक संघीय ढाँचे की स्थापना की।

इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता इसकी *लचीलापन* और *समावेशिता* में निहित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ने इसे समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की क्षमता दी है। अब तक 100 से अधिक संशोधन इसके विकास का प्रमाण हैं। भारत में संघीय ढाँचा है, लेकिन इसमें केंद्र को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

भारतीय संविधान की सफलता के कारण

भारतीय संविधान को उसकी सफलता के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं:

1. समाज में विविधता को समाहित करना

भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का देश है। भारतीय संविधान ने इस विविधता को स्वीकार करते हुए धर्मनिरपेक्षता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया है।

2. लोकतंत्र का मजबूत आधार

संविधान ने भारत में लोकतंत्र को स्थायी रूप से लागू किया है। चुनाव आयोग के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए गए हैं, जो जनता के विश्वास को बनाए रखते हैं।

3. अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण

संविधान ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है, जिससे प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गरिमा और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार प्राप्त है।

4. न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने संविधान की आत्मा को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने संविधान के उल्लंघन के मामलों में उचित कार्रवाई की है।

5. संविधान का लचीलापन

संविधान में समय के साथ बदलाव की गुंजाइश है। इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं, जो इसे बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाते हैं।

विचारकों और लेखकों के मत

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर

डॉ. अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ने संविधान की सफलता के लिए सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा था: "संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो यह असफल हो जाएगा।"

2. ग्रेनविल ऑस्टिन

संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को "सामाजिक क्रांति का उपकरण" कहा है। उनके अनुसार, यह संविधान भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का आधार बना है।

3. जवाहरलाल नेहरू

नेहरू ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में देखा, जो समय के साथ विकसित हो सकता है। उन्होंने कहा था कि संविधान को लचीला और प्रगतिशील होना चाहिए।

4. धर्मवीर भारती

प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती ने कहा कि संविधान ने भारतीय समाज को एकजुट रखने का काम किया है। उनके अनुसार, इसका आधार समानता और सामाजिक न्याय है।

5. अमर्त्य सेन: संविधान ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

6. रामचंद्र गुहा: संविधान ने संस्थागत ढांचे को मजबूत किया, परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप एक चुनौती है।

चुनौतियाँ और समाधान

भारतीय संविधान की सफलता के बावजूद, इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:

- जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता:** हालाँकि संविधान ने समानता की बात की है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी असमानता और भेदभाव देखने को मिलता है।
- राजनीतिक भ्रष्टाचार:** संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसे रोकने के लिए राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीयता और भाषाई विवाद:** भारत में क्षेत्रीयता और भाषाई विवाद संविधान के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** अक्सर नागरिकों के अधिकारों का हनन देखा गया है। इसे रोकने के लिए न्यायपालिका और नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान की प्रासंगिकता

1. **मानवाधिकारों का संरक्षण:** संविधान ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है। यह समय-समय पर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाने में सक्षम है।
2. **आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार:** संविधान के दिशानिर्देशों ने भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और आधुनिक समाज बनाने में मदद की है। पंचवर्षीय योजनाओं, आरक्षण नीति, और समावेशी विकास कार्यक्रमों का आधार यही है।
3. **न्यायिक स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की है, जो नागरिकों को न्याय दिलाने और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम है।
4. **समसामयिक चुनौतियों का समाधान:** संविधान ने जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास, और वैश्वीकरण जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए भी मार्गदर्शन दिया है।
5. **लोकतंत्र का आधार:** संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। लोकतंत्र का यह स्वरूप आज भी हर भारतीय के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। प्रसिद्ध लेखक ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान "सामाजिक क्रांति का उपकरण" है, जो एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कार्य करता है।
6. **संवैधानिक नैतिकता:** संविधान ने "संवैधानिक नैतिकता" का एक नया आयाम प्रस्तुत किया। डॉ. अंबेडकर ने इसे भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।
7. **मौलिक अधिकार और कर्तव्य:** संविधान के भाग III और IV ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जब मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, तो संविधान का यह पहलू अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।

संविधान की चुनौतियां और आलोचनाएं

हालांकि संविधान ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया है, कुछ विद्वानों ने इसके विभिन्न पहलुओं की आलोचना भी की है।

1. **राजनीतिक दखल और संस्थानों का पतन:** लेखक रामचंद्र गुहा का मानना है कि भारतीय संविधान ने स्वतंत्र संस्थानों की स्थापना की, लेकिन समय के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप ने उनकी स्वतंत्रता को कमजोर किया।
2. **सामाजिक असमानता का समाधान:** प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने संविधान को सामाजिक न्याय के लिए प्रासंगिक बताते हुए यह तर्क दिया कि भारत अभी भी आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है।

3. **संघवाद और क्षेत्रीय विवाद:** भारतीय संविधान का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की बात करता है। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह ढांचा कई बार केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बना देता है।

इसके बावजूद, भारतीय संविधान ने देश को एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. **महिलाओं और दलितों का उत्थान:** डॉ. अंबेडकर के विचारों पर आधारित आरक्षण नीति ने समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया।
2. **न्यायपालिका की स्वतंत्रता:** न्यायपालिका ने अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण के साथ संविधान की मूल संरचना को बरकरार रखा है। केशवानंद भारती केस में, "मूल संरचना सिद्धांत" को अपनाकर न्यायपालिका ने संविधान की स्थिरता को सुरक्षित किया।
3. **मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** संविधान के अनुच्छेद 19 ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। प्रसिद्ध पत्रकार नयनतारा सहगल का मानना है कि यह प्रावधान भारतीय समाज में सशक्तिकरण और जागरूकता का आधार है।

आधुनिक भारत में संविधान की भूमिका

आज के युग में, जब वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और पर्यावरणीय समस्याओं जैसी नई चुनौतियां सामने हैं, भारतीय संविधान का मार्गदर्शन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

1. **डिजिटल अधिकार:** अनुच्छेद 21 के तहत "गोपनीयता का अधिकार" (पुट्टस्वामी केस, 2017) को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जो डिजिटल युग में नागरिकों की निजता की रक्षा करता है।
2. **पर्यावरण संरक्षण:** संविधान के नीति-निर्देशक तत्व पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हैं।
3. **नारी सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए विशेष कानून और अधिकार संविधान की प्रासंगिकता को नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में सिद्ध करते हैं।

उपसंहार

भारतीय संविधान एक ओर ऐतिहासिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर यह आधुनिक युग की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रासंगिक है।

डॉ. अंबेडकर ने कहा था, "संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के हमारे आदर्शों का प्रतिबिंब है।" इस संदर्भ में, भारतीय संविधान न केवल भारत के लोकतंत्र का आधार है, बल्कि यह एक ऐसा प्रकाशस्तंभ है जो देश को सही दिशा में अग्रसर करता है। भारतीय संविधान की प्रासंगिकता न केवल आज बल्कि

भविष्य में भी बनी रहेगी, क्योंकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालने की क्षमता रखता है।

जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा था, "संविधान तभी सफल होगा जब इसे लागू करने वाले लोग उसके मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करेंगे।" भारतीय नागरिकों और संस्थानों को इन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा, ताकि भारतीय संविधान सदैव सफल और प्रासंगिक बना रहे।

